



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce



Is your Domestic Industry facing injury from imports due to:

- Dumping?
- Subsidies by foreign countries?
- Sudden surge in imports?

If so, you can file an appropriate trade remedy application for imposing anti-dumping, countervailing or safeguard measure, in Directorate General of Trade Remedies (DGTR)

OR

Are your exports facing any trade remedy investigation in another country?

If so, DGTR can assist you during the investigation with suitable guidance.

For further guidance or enquiry please e-mail at helpdesk.dgtr@gov.in or call us at 1800-111-808

Joint Secretary (Administration)
Department of Commerce,
Ministry of Commerce and Industry,
Udyog Bhawan, New Delhi, 110011
011-2306-2261



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग



क्या आपके घरेलू उद्योग को आयात (इम्पोर्ट) के निम्नलिखित कारणों से हानि हो रही है:

- डम्पिंग?
- दूसरे देशों द्वारा दी जा रही सब्सिडी?
- आयात में अचानक तेजी?

यदि हां, तो आप व्यापार उपचार महानिदेशालय (डी.जी.टी.आर) में एंटी-डम्पिंग, काउंटरवेलिंग अथवा सेफगार्ड उपाय लगाने के लिए उपयुक्त व्यापार उपचार आवेदन-पत्र दे सकते हैं

अथवा

क्या आपके निर्यात (एक्सपोर्ट) पर किसी अन्य देश में व्यापार उपचार जाँच चल रही है?

यदि हां, तो डी.जी.टी.आर उपयुक्त मार्गदर्शन के साथ जाँच के दौरान आपकी सहायता कर सकता है।

अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए कृपया helpdesk.dgtr@gov.in पर ई-मेल करें अथवा 1800-111-808 पर संपर्क करें।

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011
011-2306-2261